झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–74/2016/../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई॰ मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के अधीन सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत झिलुआ बांध मध्यम सिंचाई योजना, प्रखंड–मसलिया जिला–दुमका का जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू0 30.673 लाख (रू0 तीस लाख सरसठ हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के अधीन सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत झिलुआ बांध मध्यम सिंचाई योजना, प्रखंड–मसलिया जिला–दुमका का जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू0 30.673 लाख (रू0 तीस लाख सरसठ हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. प्रस्तावित योजना अंतर्गत झिलुआ बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य का प्रस्ताव है।

4. इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तो के साथ दी जाती हैः–

(i) जीर्णोद्वार कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जायगा एवं उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जायगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री॰ लेवल माप पुस्त में अंकित किया जायगा एवं इसकी शत प्रतिशत जांच सहायक अभियंता के द्वारा तथा पचास प्रतिशत जांच कार्यपालक अभियंता द्वारा करना सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) योजना के पुनर्स्थापन कार्य के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति से प्राप्त नहीं होगा। उस स्थिति में स्थल पर योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रस्तावित कार्य के कियान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र का आकलन तथा प्राक्कलन में मद एवं मात्रा की जॉच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) प्रस्तावित कार्य के कियान्वयन के पूर्व प्राक्कलन में प्रावधानित संरचनाओं की रूपांकण की जॉच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) वैसे भूखण्ड पर निर्मित होने वाले सिंचाई योजनाएँ जिनमें भू–स्वामी द्वारा महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम से निजी भूमि का हस्तानान्तरण किया जाता है उनका विधि सम्मत हस्तानान्तरण होने के उपरांत ही योजना जीर्णोद्धार/निर्माण का कार्य संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जाएगा।

(vii) प्रस्तावित योजना के जीर्णोद्धार कार्य E-Tendering के माध्यम से कराया जाएगा।

(viii) योजना के कार्यान्वयन् के पूर्व मुख्य अभियंता, लघु सिचाई दुमका द्वारा 4 के (i) से (vii) तक का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना के जीर्णोद्धार कार्य से कुल 42 हे॰ (खरीफ 40 हे॰ एवं रब्बी 2 हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पुनर्जीवित होगी। योजना का B.C. Ratio 10% interest पर 1.68 आकलित है।

6. प्रस्तावित कार्य को वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

7. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–20–पुरानी लघु सिंचाई योजना का सम्पोषण एंव पुनर्स्थापन कार्य 05–43'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

8. प्रस्तावित कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

9. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. इस कार्य हेतु राशि की निकासी दुमका कोषागार से की जायगी।

11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

12. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

13. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–74/2016/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः प्रतिलिपिः प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग, झारखंड सरकार को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–74/2016/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/कार्य–74/2016/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–74 / 2016 / .... / राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–74 / 2016 / .... / राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य–74 / 2016 / 72/15-16 प्र॰ब्दि॰ / राँची, दिनांक 18.03.2016
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(मुक्ति साधन चौरसिया) 18/3/16
उप सचिव (अभियंत्रण)
18/03/16